कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

क्रमांकः—शिविरा / माध्य / मॉनिट / अति.मु.स / मु.स. / 49112 / 2022—23 दिनांकः— यथा हस्ताक्षर

—::बैठक कार्यवाही विवरण::—

श्रीमान् शासन सचिव, स्कूल शिक्षा की अध्यक्षता में दिनांक 14.01.2026 को दोपहर 03:00 बजे से 05:00 बजे तक समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में अतिरिक्त निदेशक, माध्यमिक एवं प्रारंभिक शिक्षा, वित्तीय सलाहकार, संयुक्त निदेशक, मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, बीकानेर, जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक एवं प्रारंभिक और निदेशालय माध्यमिक और प्रारंभिक से संबंधित ग्रुप और अनुभाग अधिकारी उपस्थित रहे। उक्त बैठक में निम्नांकित निर्देश प्रदान किये:—

क्र.सं.	एजेण्डा बिन्दू	निर्देश
01	विवेकानंद / महात्मा गांधी / केजीबीवी विद्यालयों के संबंध में WhatsApp channel	• अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों यथा स्वामी विवेकानंद आदर्श विद्यालय, महात्मा गांधी विद्यालयों में कार्मिक का कार्यकाल पूरा होने के बाद चयन निरस्त / प्रतिवर्तन तथा आगामी पदस्थापन की समस्त कार्यवाही ऑनलाइन मॉड्यूल के तहत हो, इसकी कार्ययोजना तैयार की जाए। • अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों यथा स्वामी विवेकानंद आदर्श विद्यालय, महात्मा गांधी विद्यालयों में कार्मिक का कार्यकाल पूरा होने के बाद चयन निरस्त / प्रतिवर्तन कर पदस्थापन किए जाने के संबंध में एक समान नीति पर विचार किया जाए। • सामान्यतया अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों में चयन एक वर्ष के लिए किया जाता है तत्पश्चात एक—एक वर्ष की कार्यकाल की अभिवृद्धि तय मापदंड अनुसार की जाती है, अतः चयन निरस्त / प्रतिवर्तन कितनी अवधि के पश्चात अनुमत किया जाना है, के संबंध में नीति निर्धारित की जाए। • केजीबीवी विद्यालयों में भी कार्मिकों का कार्यकाल पूरा होने के बाद पदस्थापन की समस्त कार्यवाही ऑनलाइन मॉड्यूल के तहत हो।
02	उप—प्राचार्य पद को डाईग कैण्डर घोषित किये जाने एवं वरिष्ठ व्याख्याता के नवीन पद के सृजन के संबंध में।	• उप—प्राचार्य की काउसलिंग के संबंध में निदेशक महोदय से चर्चा कर विचार करें। • उप—प्राचार्य का पदस्थापन उस विद्यालय में संचालित विषय के आधार पर ही किया जाये। ऐसा न हो कि उप—प्राचार्य रसायन विज्ञान का है और उसका पदस्थापन ऐसे विद्यालय में कर दिया जाए जहां रसायन विज्ञान विषय ही न हो, क्योंकि उनको सप्ताह में 18 / 24 कालांश पढ़ाने होते हैं।
03	बजट वर्ष 2025 2026 की बजट घोषणा संख्या 50—11—6 अन्तर्गत मिर्जेवाला श्रीगंगानगर में सैनिक स्कूल स्थापित किये जाने के संबध में।	• सैनिक स्कूल मिर्जेवाला, श्रीगंगानगर स्कूल का भूमि आवंटन हो गया है आगे की प्रकिया शुरू की जाए। • सैनिक स्कूल जयमलसर बीकानेर संबंधित अधिकारी द्वारा सतत् मॉनिटरिंग की जाये। प्रवेश परीक्षा का आयोजन करवाना है। परीक्षा पूरी शुचिता के साथ होनी चाहिए। परीक्षा का परिणाम 15.03.2026 को जारी किया जायेगा। • सैनिक स्कूल जयमलसर बीकानेर का सत्र 01.04.2026 से शुरू होगा। इसके लिए एक अधिकारी की नियुक्ति करें जो विद्यालय संचालन से पूर्व सभी व्यवस्थाओं को देखें यथा

		विद्यालय का फर्नीचर, टॉयलेट्स, सीसीटीवी कैमरा, सुरक्षा एवं आवश्यक व्यवस्थाए इत्यादि देख कर उचित प्रबंधन और समन्वय करें।
04	बेसिक कम्प्यूटर अनुदेशक एवं वरिष्ठ कम्प्यूटर अनुदेशक पदों पर नवीन सीधी भर्ती के संबंध में।	• कर्मचारी चयन बोर्ड से संबंधित भर्ती प्रक्रिया में किसी प्रकार की समस्या आ रही है तो दिनांक 19.01.2026 को संबंधित अधिकारी निदेशालय से शासन सचिवालय भिजवाया जाना सुनिश्चित करे ताकि शासन सचिवालय में माननीय अध्यक्ष, चयन बोर्ड के साथ प्रस्तावित बैठक में समस्याओं के निराकरण पर विचार किया जा सके।
05	शारीरिक शिक्षा अध्यापक सीधी भर्ती, 2022 सीधी भर्ती की जांच रिपोर्ट के संबंध में प्रगति	• संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा संभाग की अध्यक्षता में गठित समिति जिसमें एसओजी का अधिकारी भी सदस्य है, उक्त समिति शीघ्रता से जांच करे। किसी एसओजी अधिकारी का सहयोग नहीं मिल रहा है तो शासन को अवगत करावे ताकि सक्षम स्तर पर सूचित किया जा सके।
06	वरिष्ठ शारीरिक शिक्षा अध्यापक सीधी भर्ती 2022 में चयनित अभ्यर्थियों के दस्तावेज सत्यापन की 10 बिंदुओं की सूचना में अभाव में मण्डल आवंटन/नियुक्ति प्रदान करने के लिए	• वरिष्ठ शारीरिक शिक्षा अध्यापक सीधी भर्ती, 2022 में चयनित अभ्यर्थियों के दस्तावेज सत्यापन की 10 बिंदुओं की सूचना के अभाव में मण्डल आवंटन/नियुक्ति प्रदान नहीं की जा रही है जिन अभ्यर्थियों के आवश्यक दस्तावेज/सूचना अप्राप्त है, उनके संबंध में सात दिवस के अंतिम अवसर का नोटिस जारी करे।
07	पुस्तकालयाध्यक्ष ग्रेड–II भर्ती में 74 अभ्यर्थी सुभारती ओपन विश्वविद्यालय मेरठ, उत्तर प्रदेश से है। जिसके विरूद्ध बेनामी शिकायत	• शासन से निर्देश प्राप्त होते ही गठित समिति आपसी समन्वय स्थापित कर निर्देशानुसार तत्काल कार्यवाही कर रिपोर्ट शासन को प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित करें।
08	निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम के संबंध में।	• निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 2 (एन) की उपधारा 3 व 4 में विद्यमान वर्तमान प्रावधानों में संशोधन हेतु समिति का गठन कर समीक्षा रिपोर्ट/सुझाव प्रस्तुत किए जाए। • आर0टी0ई0 पुनर्भरण आक्षेपों की समीक्षा एवं पुनर्भरण की प्रक्रिया में सुधार करने के संबंध में वित्तीय सलाहकार प्रारंभिक शिक्षा की अध्यक्षता में समिति गठित की जाएं, समिति में विधि, तकनीकी, आरटीई, पीएसपी अनुभाग सदस्य के तौर पर नामित हो। समिति तीन दिवस में समीक्षा रिपोर्ट/सुझाव पेश करेगी।

09	मेगा पीटीएम	• पीटीएम के समय विद्यार्थी के माता–पिता को बुलाया जाए। • पीटीएम में बच्चों की शैक्षणिक, सीबीए, शाला उपस्थिति, खेल, ओ0आर0एफ0, बोर्ड परीक्षा और कक्षा में की जा रही गतिविधियों और उसके समग्र प्रदर्शन के बारे में अभिभावकों को बताए एवं चर्चा करें। • शिक्षक एप पर बच्चों की पूरी रिपॉर्ट है, वहां से भी बच्चों की गतिविधियों के बारे में अभिभावकों को बता सकते हैं।
10	पांचवी और आठवीं कक्षा	• बेहतर कार्य योजना और प्रबंध से पांचवी और आठवीं कक्षा की परीक्षाओं की तैयारियां की जाए और शीघ्र परीक्षा परिणाम जारी किया जाए। • पांचवी और आठवीं बोर्ड में जो विद्यार्थी अनुत्तीर्ण होंगे, उनके लिए 3 सप्ताह का उपचारात्मक कक्षा (रेमेडियल) करना होगा। बच्च्चों को तनाव ना हो और वे आनंदित महसूस करे इसका भी ध्यान रखा जाए। • उपचारात्मक कक्षा (रेमेडियल) की समयावधि कम करने हेतु आरएससीईआरटी, उदयपुर से टाइम कम्प्रेस करवाना होगा। • यदि 5वीं और 8वीं कक्षा में कोई भी विद्यार्थी अनुत्तीण होता है तो संबंधित शिक्षक को अवकाश के दिनों में भी आकर उपचारात्मक कक्षा (रेमेडियल) लेनी होगी। • पांचवी और आठवी में अनुत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों को अगली कक्षा में प्रोविजनल प्रवेश दिया जाए ताकि विद्य ार्थियों का अध्ययन सुचारू हा सके, लेकिन यह आवश्यक रूप से सूचित किया जाए कि कक्षा 8 में अनुत्तीर्ण होने पर आगामी कक्षा में अध्ययन नहीं कर पाएंगे।
11	महत्वपूर्ण प्रस्ताव/पत्रों के संबंध में	• अति महत्वपूर्ण प्रस्ताव और पत्र जो शासन और निदेशालय स्तर पर लंबित और विचाराधीन है, उसके संबंध में दिनांक 15.01.2025 को श्री बी0के0गुप्ता, विशेषाधिकारी, शासन सचिवालय, जयपुर को आवश्यक विचार विमर्श हेतु बीकानेर आकर चर्चा करने के लिए निर्देशित किया
12	अन्य बिन्दु WhatsApp channel	• वर्ष 2025–26 की समस्त डी.पी.सी दिनांक 31 मार्च, 2026 तक पूर्ण करने की नियमानुसार कार्यवाही करें। • टीएसपी व नॉनटीएसपी कर्मचारियों के आपसी स्थानान्तरण/पदस्थापन/समायोजन के संबंध में समय–समय पर जारी पत्रों /निर्देशों/अधिसूचना आदि का अध्ययन कर विचार किया जा कर विभागीय मत प्रस्तुत किया जाए। • अवमानना प्रकरण सुमन कुमारी यादव (1087/23) में क्षेत्रीय निदेशक, एनसीटीई, नई दिल्ली को याचिकार्थियों के ब्रीज कोर्स करवाने के संबंध में अनुमति प्रदान करवाने हेतु पत्र प्रेषित किया जाए, पत्र में अवमानना का संदर्भ दिया जाए। • लाडो योजना में प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय के लेखा संवर्ग अधिकारियों का तकनीकी प्रशिक्षण एनआईसी जयपुर और शाला दर्पण, जयपुर के जरिए करवाया जाए।

	WhatsApp channel	• लाडो योजना प्रगति की समीक्षा हेतु आगामी डी.आर.एम. बैठक में बिन्दु को शामिल किया जाए, असंतोजनक प्रगति वाले जिलों की विशेष समीक्षा की जाए। • शिक्षा विभाग की विभिन्न योजनाओं में विद्यार्थियों से ऑफलाइन फॉर्म नहीं भरवाए जा कर समस्त कार्यवाही ऑनलाइन करने हेतु बेहतर कार्य योजना बनाई जाए। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, अजमेर का डाटा शाला दर्पण से जुड़ जाए तो काफी हद तक समस्याओं का निवारण हो सकता है। इस हेतु समस्त ऑनलाइन पोर्टल/प्लेटफॉर्म के संबंध में एक बेहतन कार्ययोजना बनाई जा कर प्रस्तुत की जाए। • वरिष्ठ अध्यापक से व्याख्याता पद पर पदौन्नति 31 मार्च, 2026 तक कर ली जाए। जिन मण्डल द्वारा वरिष्ठता सूची जारी नहीं की जा रही है उनसे जल्दी वरिष्ठता सूची जारी करवायें। अगर इसमें देरी होती है तो इसे गंभीरता से लिया जायेगा। • अनुकंपा नियुक्ति के लंबित प्रकरणों का शासन/निदेशालय स्तर पर शीघ्र निस्तारण किया जाए। • संपर्क पोर्टल पर लंबित प्रकरणों का शीघ्र नियमानुसार निस्तारण आवश्यक रूप से करें।

(सीताराम जाट)
आई.ए.एस.
निदेशक माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान, बीकानेर एवं पदेन
अतिरिक्त राज्य परियोजना निदेशक (वरिष्ठ)
समग्र शिक्षा अभियान (समसा)

क्रमांकः—शिविरा/माध्य/मॉनिट/अति.मु.स/मु.स./49112/2022—23 दिनांकः— यथा हस्ताक्षर

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :—

1. निजी सचिव, शासन सचिव, स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, आयुक्त एवं राज्य परियोजना निदेशक, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद, समसा, जयपुर।
3. वरिष्ठ निजी सचिव, निदेशक, माध्यमिक, राजस्थान, बीकानेर।
4. निजी सचिव निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान बीकानेर।
5. समस्त संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा।
6. समस्त मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी एवं पदेन जिला परियोजना समन्वयक, समसा।
7. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक/प्रारम्भिक।
8. सबंधित ग्रुप/अनुभाग अधिकारी कार्यालय हाजा।
9. रक्षित पत्रावली।

निदेशक माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान, बीकानेर एवं पदेन
अतिरिक्त राज्य परियोजना निदेशक (वरिष्ठ)
समग्र शिक्षा अभियान (समसा)

RajKaj Ref No.: 20373787